

2025/117

**राजस्व रिकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र**

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 139 के अन्तर्गत)

श्रीमती राजलक्ष्मी रामभाजन सिंह - 2025  
सर्तिस

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा हेक्टर	पं० अं०	मू० अं० नि० वृत्त	वर्तमान खात का विवरण	प्रस्तावित परिधि	वि० वि०
1.	2	3	4.	5.	6.	7.		
1	45	जिला 01	0.3669	03669	राजकी चर्क बेलानी भील MGR आबाडा डेल्टा	राजकी चर्क बेलानी भील राजलक्ष्मी रामभाजन सिंह डेल्टा	राजकी चर्क बेलानी भील राजलक्ष्मी रामभाजन सिंह डेल्टा	
	60	जिला 11	6.1961	61961	शारदा पुन एमिग्रेशन प्रोटेक्टि राजलक्ष्मी रामभाजन सिंह डेल्टा	शारदा पुन एमिग्रेशन प्रोटेक्टि राजलक्ष्मी रामभाजन सिंह डेल्टा	शारदा पुन एमिग्रेशन प्रोटेक्टि राजलक्ष्मी रामभाजन सिंह डेल्टा	
	61	जिला 04	0.4004	04004	शारदा पुन एमिग्रेशन प्रोटेक्टि राजलक्ष्मी रामभाजन सिंह डेल्टा	शारदा पुन एमिग्रेशन प्रोटेक्टि राजलक्ष्मी रामभाजन सिंह डेल्टा	शारदा पुन एमिग्रेशन प्रोटेक्टि राजलक्ष्मी रामभाजन सिंह डेल्टा	
	90	जिला 03	1.1254	11254	शारदा पुन एमिग्रेशन प्रोटेक्टि MGR आबाडा डेल्टा	शारदा पुन एमिग्रेशन प्रोटेक्टि MGR आबाडा डेल्टा	शारदा पुन एमिग्रेशन प्रोटेक्टि MGR आबाडा डेल्टा	

मुताबिक बिसल/समावन्दी खसरा 2025 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय खसरा के सम्पन्न श्रवण योग्य है।

साहिक राजस्व रिकार्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खात में शुद्धि किया जाना उचित है।

पं० हत्का 2519  
मू० अं० नि० 2519  
राजकी चर्क बेलानी भील के खात पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण यथावस्तु सन्तुष्ट है। अतः/पूर्व का हार्दे से भीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अक्सर को सादर प्रेषित है।

पं० हत्का 2519  
मू० अं० नि० 2519  
राजकी चर्क बेलानी भील के खात पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने के बाद उपरोक्त में अमल किया जावे।

21/11/25  
50 पटवारी

दिनांक 21/11/25  
50 मू० अं० नि०

21/11/25  
50 पं० अं० नि०

उपखण्ड कार्यालय आबूरोड  
50 उपखण्ड अधिकारी

राजस्थान भू-राजस्व अधिकारी  
जिला-सिरोही